

मोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल

क/बोर्ड/योजना/गै.त./2019-20/81/651
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/11/19

संयुक्त संचालक/उप संचालक

मोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड


आंचलिक कार्यालय— भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा.

विषय :- प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के हम्मालों एवं तुलावटियों के लिये समूह बीमा योजना लागू करने के संबंध में।

संदर्भ :- मण्डी बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक 278 दिनांक 27.05.2019 स्मरण पत्र क्रमांक / 534-535 दिनांक 04.09.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिये समूह बीमा के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे जिनमें मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिये राज्य तथा केन्द्र शासन की अनुको समूह बीमा योजनाये संचालित है, उन योजनाओं के संबंध में मण्डी समितियों में केम्प लगाकर उनको अवगत करावे एवं संबंधित योजना में सदस्य बनवाया जावे ताकि दुर्घटना घटित होने पर उनके परिवार वालों को उक्त बीमा योजना का लाभ मिल सके।

उक्त निर्देशों का पालन कराया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल चाहा गया था, परन्तु पालनप्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपने सभागांतर्गत अधीनस्थ मण्डी समितियों से जानकारी मंगाई जाकर एकजाई जानकारी तैयार कर पालन प्रतिवेदन तत्काल मण्डी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।




 संयुक्त संचालक(योजना),
 मोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

 भोपाल

क/बोर्ड/योजना/गै.त./2019-20/81/652

भोपाल, दिनांक 6/11/19

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाकर जानकारी आंचलिक कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


 संयुक्त संचालक(योजना),
 मोप्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

 भोपाल